FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम ....

नैनाराम वगैरा बनाम खिरधाराम वगैरा

किस्म मुकदमा नव आवेदन नं. 305/17 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/12/17	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खिरधाराम नैनाराम ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 22/1/18 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
22/01/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनु०। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया की प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों के चारों ओर पक्के नेषमस्थापित करवाने आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेषमवन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश किया जावे। अत: प्रार्थी का नेषमवन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिशनर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरिक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पक्की नेषमवन्दी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें,	

पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली मुसल शुमार हो, दर्ज नम्बर ले उठ हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Scanned by CamScanner

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2018 / 13 दिनांकः– 23/01/2018

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. नेनाराम पुत्र धीराराम वगैरा 11 जाति जाट निवासी हीरा की ढाणी, तह. गिड़ा जिला बाड़मेर

1. विरधाराम पुत्र राजुराम वगैरा 79 निवासी हीरा की ढाणी, तह. गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 305 / 17

आदेश

मौजा हीरा की ढाणी पटवार हल्का हीरा की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 187 रकबा 35.17 बीघा, खसरा नम्बर 189 रकबा 34.18 बीघा, खसरा नम्बर 196 रकबा 231.00 बीघा, खसरा नम्बर 431 / 187 रकबा 65.00 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(हेताराम चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO), बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

क्रमांक / वाद / 2018 / 14 to 18 दिनांकः– 23/01/2018

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी हल्का हीरा की ढाणी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री नेनाराम पुत्र धीराराम वगैरा 11।
4. विप्रार्थीगण श्री विरधाराम पुत्र राजुराम वगैरा 79।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO), बायतु

Scanned by CamScanner